**संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05एन0सी0आर0/17**

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 07 मार्च, 2019

विषय- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजना के डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 परिशिष्ट तथा इसकी संशोधित योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-NCRTC/Govt. of UP/11(Part-II)/475, दिनांक 07.01.2019 तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-30(06)PFC.II/2018, दिनांक 11.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजना के डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 परिशिष्ट तथा इसकी संशोधित योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:-

(1) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा प्रस्तुत आर0आर0टी0एस0 परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना तथा पी0आई0बी0 बैठक दिनांक 06.02.2019 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 11.02.2019 में अनुमोदित फंडिंग पैटर्न के अनुसार परियोजना की कुल लागत रू0 30274 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता रू0 6048 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसमें रू0 4726 करोड़ वित्तीय सहायता, रू0 923 करोड़ स्टेट जी0एस0टी0 छूट तथा रू0 399 करोड़ की सरकारी भूमि के रूप में दिया जाना है।

(2) डी0पी0आर0 में प्रस्तावित सुधारों के साथ परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नयी मेट्रो नीति, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार के साथ सहभागिता के आधार पर किये जाने, परियोजना हेतु केन्द्र सरकार के माध्यम से ऋण प्राप्त किये जाने तथा भारत सरकार तथा प्रतिभागी राज्यों के मध्य 29 जून, 2011 को हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी भूमि, जिसमें सरकार या सरकार की एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि सम्मिलित है, या तो रियायती दरों पर पट्टे पर या बिना ब्याज के अधीनस्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाले व निजी भूमि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कानूनी प्राविधानों में अर्जित (aquire) किये जाने की कार्यवाही आरंभ की जाय।

(3) डी0पी0आर0 के अनुसार भूमि वैल्यू कैप्चर के विभिन्न साधनों द्वारा आय के अर्जन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

2- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 में उल्लिखित शर्तों एवं विशिष्टियों का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पी0आई0बी0 बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 11.02.2019 तथा नई मेट्रो नीति 2017 के अनुसार परियोजना लक्षित समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता के अंश हेतु बजट व्यवस्था के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार अवमुक्त धनराशि लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

**संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, न्याय, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
10. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
11. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
12. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
13. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
15. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
16. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( संजय कुमार सिंह )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in